संख्या-2/2026/143/44-1-2026

प्रेषक,

अनिल कुमार सागर,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों से सम्बन्धित
समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 09-02-2026

विषयः- प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के कार्मिकों हेतु प्रशिक्षण नीति लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के कार्मिकों के पदीय दायित्वों के सम्यक निर्वहन एवं इष्टतम उत्पादकता (Optimum Productivity) सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति एवं राज्य सरकार की "सभी के लिए प्रशिक्षण" नीति के अनुरूप सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के कार्मिकों को नियमित रूप से प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु "राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के कार्मिकों हेतु प्रशिक्षण नीति" लागू किये जाने के सम्बंध में निम्नवत् कहने का निर्देश हुआ है-

1. समस्त सार्वजनिक उपक्रम/निगम अपनी भविष्य की जनशक्ति/कौशल आवश्यकताओं के दृष्टिगत कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु एक प्रशिक्षण प्लान तैयार कर तीन माह के भीतर निदेशक मण्डल का अनुमोदन प्राप्त करते हुये लागू करेंगे। इस प्रशिक्षण प्लान में सार्वजनिक उपक्रम/निगम समूह 'क', 'ख' एवं 'ग' श्रेणी के कार्मिकों एवं निदेशक मण्डल के सदस्यों हेतु सम्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
2. सार्वजनिक उपकम/निगम स्वयं के स्तर पर अथवा अन्य विभागों एवं प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थाओं से समन्वय स्थापित कर आवश्यकतानुसार कार्मिकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करेंगे।
3. सार्वजनिक उपक्रम/निगम वित्तीय वर्ष के लाभ का न्यूनतम एक प्रतिशत (1%) अथवा वेतन व्यय के मद का एक प्रतिशत (1%) जो भी अधिक हो, की व्यवस्था प्रत्येक वर्ष प्रशिक्षण व्यय के मद में करेंगे।
4. प्रदेश की प्रमुख प्रशिक्षण संस्थाओं यथा उपाम लखनऊ, आई०आई०एम० लखनऊ एवं आई०आई०टी० कानपुर द्वारा जारी वार्षिक प्रशिक्षण कैलेण्डर के प्रशिक्षण कार्यकमों एवं समय-समय पर आयोजित अंतर-निगम सेमिनार/वर्कशाप इत्यादि में समस्त सार्वजनिक उपक्रम/निगम अपने उपयुक्त श्रेणी के कार्मिकों का प्रतिभाग कराना सुनिश्चित करेंगे।

कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
अनिल कुमार सागर
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-2/2026/143(1)/44-1-2026 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

(2) महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, 242 जवाहर भवन, लखनऊ।

(3) सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1/2

(4) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

पुष्पेन्द्र सिंह

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।